न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)

पीठासीन अधिकारी– मूलचन्द लूणियां आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या : 38 / 2022
निर्णय दिनांक : 24/02/2023

केशरदेव पुत्र मनरूपाराम जाति जाट निवासी ग्राम मुरड़ाकिया तहसील सुजानगढ़ जिला–चूरू (राज.)

.........वादी

बनाम

1.ईशरराम पुत्र मनरूपाराम जाति जाट निवासी मुरड़ाकिया तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)
2.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)

..........प्रतिवादीगण

उपस्थित :–
1. श्री मोहनलाल बिशु एडवोकेट, अधिवक्ता वादी
2. पेरोकार राज नायब तहसीलदार सुजानगढ़

राजस्व वाद खातेदारी भूमि का विभाजन बाबत

–: निर्णय :–

इस दावा का न्यायालय में विचारण किया जाकर दिनांक 27.03.2004 को प्रारम्भिक रूप से डिक्री किया गया था कि वादी वादगत पूर्व खेत खसरा संख्या 79 तादादी 0.4046 हैक्टेयर व खसरा संख्या 89 तादादी 8.7250 हैक्टेयर कुल किता दो कुल तादादी 9.1296 हैक्टेयर वाके रोही शोभासर (नया) तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू में अपने हिस्से की भूमि का विभाजन करवाने का अधिकारी है। आदेश दिनांक 27.03.2004 द्वारा उक्त वाद प्रारम्भिक रूप से डिक्री किया जाकर तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया गया कि मौके पर जाकर वादी के कब्जा काश्त व मौके की स्थिति देखते हुये विभाजन प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय में पेश करें। प्रतिवादी द्वारा आदेश दिनांक 27.03.2004 के विरूद्ध माननीय न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर में अपील [illegible] जिसमें माननीय न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर ने अपील को विचारण कर अपने निर्णय दिनांक 08.08.2012 को न्यायालय हाजा के आदेश एवं डिक्री दिनांक 27.03.2004 की पुष्टि की है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़ जिला–चूरू

Signature Not Verified
Digitally signed by Moolchand Luniya
Date: 2023.03.15 10:59:36 IST
Reason: Self Attested

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

जिस पर तहसीलदार सुजानगढ़ ने विभाजन प्रस्ताव पेश किया। जिस पर आपति चाही गई। वकील वादी ने विभाजन प्रस्ताव पर कोई आपति न होना जाहिर किया एवं अपनी बहस में विभाजन प्रस्ताव के अनुसार दावा वादी अंतिम रूप से डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का तथा तहसीलदार सुजानगढ़ से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। वकील वादी ने विभाजन प्रस्ताव पर सहमति जाहिर की इसलिए न्यायालय विभाजन प्रस्ताव अनुसार दावा वादी अंतिम रूप से डिक्री किया जाना उचित समझता है।

अतः दावा वादी विभाजन प्रस्ताव के अनुसार अंतिम रूप से डिक्री किया जाकर खाता इस प्रकार से विभाजित किया जाता है कि–

1. वादी श्री केशरदेव पुत्र मनरूपाराम जाति जाट निवासी ग्राम मुरड़ाकिया तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.) खातेदार राहिन ओ.बी.सी. शाखा सालासर के हिस्से पांति में खेत खसरा संख्या 89 मीन तादादी 4.5648 हैक्टेयर बा.अ. लगान 12.69 रोही ग्राम शोभासर (नया) में विभाजन प्रस्ताव में दर्शित नक्शे के अनुसार पश्चिमी ओर की 4.5648 हैक्टेयर भूमि रखी जाती है।

2. श्री ईशरराम पुत्र मनरूपाराम जाति जाट निवासी ग्राम मुरड़ाकिया तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.) खातेदार राहिन बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा शोभासर के हिस्से पांति में खेत खसरा संख्या 79 तादादी 0.4046 हैक्टेयर बा.अ. लगान 1.12 व खसरा संख्या 89 मीन तादादी 4.1602 हैक्टेयर बा.अ. लगान 11.48 रोही ग्राम शोभासर (नया) में विभाजन प्रस्ताव में दर्शित नक्शे अनुसार खसरा संख्या 89 मीन पूर्वी ओर की व खसरा सख्या 79 सम्पूर्ण की कुल दोनों खसरों की 4.5648 हैक्टेयर बा.अ. लगान 12.60 रखी जाती है।

तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन कर अक्स में तरमीम करें। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय व डिक्री की प्रति पालनार्थ तहसीलदार सुजानगढ़ को प्रेषित हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Moolchand Luniya
Date: 2023.03.15 10:59:36 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 24/02/2023 को टंकित करवाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़ जिला-चूरू

मूलचन्द लूणियां
उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

डिकरी व मुकदमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रुल 6–7 जब्ता दावानो)

(Civil Procedure code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी मुकाम सुजानगढ़**

व इजलास **श्री मूलचन्द लूणिया आर.ए.एस**

केशरदेव बनाम ईशरराम आदि

दावा बावत खातेदारी भूमि विभाजन

मुकदमा न0 38 सन 2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रु–ब–रु

हाजरी श्री मोहनलाल विशु एड. मिनजानिब मुद्दई .. मिनजानिब मुदापलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि दावा वादी विभाजन प्रस्ताव के अनुसार अंतिम रूप से डिक्री किया जाकर खाता इस प्रकार से विभाजित किया जाता है कि–

1. वादी श्री केशरदेव पुत्र मनरूपाराम जाति जाट निवासी ग्राम मुरड़ाकिया तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.) खातेदार राहिन ओ.वी.सी. शाखा सालासर के हिस्से पांति में खेत खसरा संख्या 89 मीन तादादी 4.5648 हैक्टेयर बा.अ. लगान 12.69 रोही ग्राम शोभासर (नया) में विभाजन प्रस्ताव में दर्शित नक्शे के अनुसार पश्चिमी ओर की 4.5648 हैक्टेयर भूमि रखी जाती है।
2. श्री ईशरराम पुत्र मनरूपाराम जाति जाट निवासी ग्राम मुरड़ाकिया तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.) खातेदार राहिन वड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण वैंक शाखा शोभासर के हिस्से पांति में खेत खसरा संख्या 79 तादादी 0.4046 हैक्टेयर बा.अ. लगान 1.12 व खसरा संख्या 89 मीन तादादी 4. 1602 हैक्टेयर बा.अ. लगान 11.48 रोही ग्राम शोभासर (नया) में विभाजन प्रस्ताव में दर्शित नक्शे अनुसार खसरा संख्या 89 मीन पूर्वी ओर की व खसरा सख्या 79 सम्पूर्ण की कुल दोनों खसरों की 4.5648 हैक्टेयर बा.अ. लगान 12.60 रखी जाती है।

तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन कर अक्स में तरमीम करें। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय व डिक्री की प्रति पालनार्थ तहसीलदार सुजानगढ़ को प्रेषित हो।

चीज .... मुबलिग .... बावत ....

खर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलमावी तक .... को अदा करे।

वसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 24 माह 02. 2023

मुहर

दस्तखत ....

ओहदा उप खण्ड अधिकारी सुजानगढ़

मुद्दई	रुपया	[illegible]	[illegible]	रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बावत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक			स्टाम्प [illegible]तनामा स्टाम्प [illegible] महनताना वकील पर खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बावत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट : खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Moolchand Luniya
Date: 2023.03.15 10:59:36 IST
Reason: SelfAttested